कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक/ 5505 /शि.क.भ.–1/स्था./2013–14 राजनांदगांव, दिनांक 10/9/2013

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा–192/पंग्राविवि/2012/1167 रायपुर दिनांक 21/06/2012 निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 तथा यथासंशोधित नियमों में उल्लेखित निर्देशों के तहत् तथा जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 01/08/2013 में चयन सूची के अनुमोदन पश्चात् छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग राजनांदगांव से प्राप्त रिक्त पदों के विरूद्ध व्याख्याता पंचायत के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू. 5300–150–8300 प्रति माह एवं शासन द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ते एवं समय–समय पर जारी अन्य भत्ते पर आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई शाला में निम्नांकित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से पदांकित किया जाता है:–

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पता	शाला का नाम	विकासखण्ड	विभाग का नाम	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	बोधन दास जोशी	ग्राम ठेढार पो. गण्डई तह. छुईखदान जिला राजनांदगांव छ.ग.	शास.हाईस्कूल, जंगलपुर	छुईखदान	शिक्षा विभाग	अंग्रेजी
2	देव कुमार नामदेव	111 पूनम कालोनी राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छ.ग.	शास.उ.मा.शा. टप्पा	डोंगरगांव	शिक्षा विभाग	गणित
3	सच्चिदानंद यादव	सिकोला बस्ती आयुर्वेदिक अस्पताल के पीछे दुर्ग छ0ग0	शास.उ.मा.शा. पटेवा	राजनांदगांव	शिक्षा विभाग	जीवविज्ञान
4	नमिता देवांगन	गांधी चौक वार्ड.6 मोतीपुर राजनांदगांव छ.ग.	शास.उ.मा.शाला, धौराभाठा	डोंगरगांव	शिक्षा विभाग	वाणिज्य
5	शिवशंकर बरगाह	करैहापारा रतनपुर पो. रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग. पि. 495442	शास.उ.मा.शाला, भैंसातरा	राजनांदगांव	शिक्षा विभाग	वाणिज्य
6	रेणु चौबे	वार्ड.1 विद्युत चौक छुईखदान जिला राजनांदगांव छ.ग.	शास.उ.मा.शाला, उदयपुर	छुईखदान	शिक्षा विभाग	वाणिज्य
7	श्रीमती वामिनी जोशी	ग्राम फरहद पो. सोमनी जिला तह. राजनांदगांव छ.ग. पि. 491441	शास.उ.मा.शाला, पटेवा	राजनांदगांव	शिक्षा विभाग	वाणिज्य

शर्तें:–

1 प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2012 में निर्दिष्ट प्रावधान के तहत् आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया गया एवं छ.ग. लोक सेवा (अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग) के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत विहित निर्देशों का समुचित रूप से पालन किया गया है।

2 चयनित व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3 कार्यभार ग्रहण के पूर्व व्याख्याता (पंचायत) को समस्त मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा।

4 चयनित व्याख्याता (पंचायत) को आदेश जारी होने के (दस दिवस) के भीतर दिनांक –19-09-2013 तक अनिवार्य रूप से पदस्थ शाला में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

5 यह नियुक्ति अस्थायी है। नियुक्ति पदांकन शाला में 2 वर्ष के लिए परीवीक्षा अवधि पर की गई है जिसे आवश्यकतानुसार 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। परीवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में परिवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जावेगा। उनके परीवीक्षा अवधि में प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर उनके कार्यों का आंकलन किया जावेगा। कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

6 परीवीक्षा अवधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतनमान तथा उस पर राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य मंहगाई भत्ता प्रदान किया जावेगा।

7 व्याख्याता (पंचायत) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन एवं भत्तो का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।

8 पुलिस सत्यापन में दोषी पाये जाने पर सेवाऐं समाप्त कर दी जावेगी ।

9 आरक्षित वर्ग के चयनित व्याख्याता (पंचायत) अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है उन्हे स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10 आरक्षित वर्ग के चयनित व्याख्याता (पंचायत) स्थायी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन उच्च स्तरीय छानबीन समिति, रायपुर से 03 माह के भीतर सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11 जो व्याख्याता (पंचायत) बी.एड. उपाधिधारी नहीं है उन्हे तीन वर्ष के अन्दर बी.एड. पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी।

12 नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के प्रमाण पत्रों अथवा अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, बी.एड., बच्चे एवं विवाह संबंधी घोषणा पत्र आदि किसी भी प्रमाण पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र के विपरित यदि कोई जानकारी/प्रमाण पत्र असत्य या फर्जी प्रमाणित होती है तो न केवल उक्त व्याख्याता (पंचायत) की सेवा समाप्त की जा सकेगी अपितु संबंधित के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जा सकेगा।

(डॉ. प्रियंका शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 5506 /शि.क.म.–1/स्था./2013–14 राजनांदगांव, दिनांक 10/9/2013

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, छ.ग. शासन, रायपुर ।
2. संचालक, लोक शिक्षण, छ.ग. रायपुर ।
3. आयुक्त, पंचायत, छत्तीसगढ़ संचालनालय रायपुर।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ.ग. रायपुर ।
5. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर ।
6. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर ।
7. कलेक्टर/कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला राजनांदगांव.
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजनांदगांव
9. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव.
10. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड -------------------- जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । अपने विकासखण्ड में नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन दिनांक 20/09/2013 तक इस कार्यालय को भेजें।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. प्रधान पाठक / प्राचार्य, पूर्व माध्यमिक शाला .... विकासखण्ड .... को सूचनार्थ। संबंधित व्याख्याता (पंचायत) के नियत समयावधि में कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को तत्काल भेजें ।
13. संबंधित श्री/श्रीमति/कु. ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करने की सूचना स्वयं अथवा विहित माध्यम से अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में भिजवायें।

(डॉ. प्रियंका शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,राजनांदगांव (छ.ग.)